विभाजन द्वारा ये नहीं हुआ है। विवादित आराजी पै
[illegible] है जो विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का वि
[illegible] के ½ हिस्सा है। प्रार्थी अपने ½ हिस्से का
[illegible] द्वारा उपभोग करने का अधिकार है। जहाँ
अप्रार्थी-1 द्वारा प्रार्थी का मकान जोजल करने एवं
[illegible] में हुए खर्च को लुगलाग करने पर हि
हिस्सा देने का कथन किया है, वह गलत है, न्य
नहीं है। प्रार्थी नाबालिग था। प्रार्थी की उम्र-
[illegible] हो गई है। अप्रार्थी ने 33 वर्ष तक विवा
आराजी का उपभोग एवं उपभोग किया है। अ
[illegible] भूमि विवादित आराजी में बनने वाले
के ½ हिस्से का 33 वर्ष तक उपभोग एवं उप
किये जाने के फलस्वरूप वह किसी भी प्रका
की कोई राशि अप्रार्थी क्र-1 को चुकाने को
नहीं है, और न कोई प्रार्थना शामिल है। अप्रार्थ
ने सिर्फ के बदले प्रार्थी की ½ हिस्से की भूमि
उपभोग किया है, अतः वह प्रार्थी से किसी भी
की कोई राशि मांगने का हकदार नहीं है।

प्रार्थी का विवादित आराजी में जन्म से
हक एवं अधिकार है। अतः प्रार्थी ½ हिस्से
अपनी इच्छानुसार काश्त करने का अधिकार
अतः उसका प्रार्थना प्रकरण एवं पुस्तिका का संतुलन
[illegible] में है। यदि प्रार्थी को उसके ½ हिस्से पर
नहीं करने दी गई, तो प्रार्थी का परिवार भूखो
एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रा
प्रार्थना का स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण
को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है
वाद संख्या 28/12 इन्द्रसिंह बनाम गोवर्धन सिंह में अं
के निर्णय होने तक विवादित आराजी में प्रार्थी को
पर उसके शांतिपूर्ण कब्जे कार्यों में किसी भी प्रक
[illegible] न तो स्थान लगेंगे और न अपने किसी
[illegible] से लगायेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07-09-12 को मेरे द्वारा खु
[illegible] किया।

7/9/12